भ्रष्टाचार उन्मूलन

1857 श्री नागमणिः
श्री ईश दत्त यादवः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क), से (ग) जी, हां। सरकार सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सजग है तथा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। लोक-सेवाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में नीतियां बनाई गई हैं तथा इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने एवं बदलते हुए वातावरण-परिवेश के प्रति अनुकूल बनाने के लिए इनमें निरंतर रूप से प्रभावनीय परिवर्तन किए जा रहे हैं। सचिव तथा विभागाध्यक्ष ही मुख्यतः अपने मंत्रालय/विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिम्मेवार हैं। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग के अलावा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अन्य दो एजेंसियां हैं जो इस कार्य में जुटी हुई हैं।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में आवश्यकता मार्गदर्शन और जहां कहीं आवश्यकता हो, सहायता करने के अतिरिक्त इस बारे में मंत्रालयों/विभागों के प्रयास भी समन्वित करता है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य-योजना जो मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समाप्त किरने के लिए निवारण, निगरानी और सुरागरसानी तथा निवारक दण्डात्मक कार्रवाई के माध्यम से त्रिसूत्री रण-नीति अपनाई जाती है। यह आरम्भिक रूप में 1985-86 में लागू की गई थी तथा इसे वार्षिक आधार पर जारी रखा जा रहा है।

सार्वजनिक जीवन में से भ्रष्टाचार समाप्त करने की दृष्टि से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मूलतः 1947 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 जो अपेक्षाकृत ज्यादा व्यापक है, को अधिनियमित करके और मजबूत बनाया गया है। 1988 के नए अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्था है:—

(1) "लोक सेवक" जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार अथवा बैंकिंग आदि में लगी पंजीकृत सहकारी समितियों के पदधारी भी शामिल है, की परिभाषा को क्षेत्र व्यापक बनाना।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु उपबंध का समावेश।

(3) भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165 "क" के अंतर्गत अपराध का समावेश।

(4) "आय के ज्ञात स्रोत" शब्द (जिसका तात्पर्य केवल आय का विधि-सम्मत स्रोत है) की परिभाषा का समावेश करना।

भ्रष्टाचार निरोधी उपाय, जो सेवकों की सेवा-शर्तों को शासित करने वाले विभिन्न आचरण नियमों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित हैं, भ्रष्टाचार निवारण के उपाय के रूप में कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार की व्याधि का उन्मूलन करने तिथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए व्यापक तथा विस्तृत विधायी तथा सांविधिक उपबंध विद्यमान हैं।

Schemes for Creating Employment in Gujarat

1858. SHRI RAJUBHAI A. PAR-MAR: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the scheme being implemented in Gujarat for creating employment for all;

(b) the amount allocated to Gujarat for the purpose during the last three years; and

(c) the targets fixed and achieved in this regard during the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHAN-DRADEO PRASAD VERMA): (a) to (c) Major schemes being implemented for creating employment in the all States/